संख्या- 103 /2020/526/35-1-2020-422/यो0मा0प्र0/2018 टी०सी०-2

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक,
   राजकीय निर्माण एजेन्सी।

नियोजन अनुभाग-1, **लखनऊः दिनांकः 08 अक्टूबर, 2020**

विषयः जन सुनवाई पोर्टल (cmis.up.gov.in) के माध्यम से परियोजनाओं की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 57/2020/258/35-1-2020-422/ यो0मा0प्र0/2018 टी0सी0-2 दिनांक 25 जून,2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि जनसुनवाई पोर्टल पर वर्तमान में रू0 50 करोड़ या उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। अगले चरण में रू0 5 करोड़ की लागत के मार्ग, पेयजल, सीवर/ड्रेनेज की परियोजनायें एवं रू0 1 करोड़ की लागत से ऊपर की अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी इस पोर्टल में सम्मिलित किया जायेगा।

2. उक्त के सम्बन्ध में सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के लोक शिकायत अनुभाग-5 के पत्र संख्या-490/चौतीस/लो0शि0 अनुभाग-5/2020 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **रूपये 01 करोड (एक करोड़) या उससे अधिक लागत की सभी योजनाओं** की प्रविष्टि तथा उनकी एक्टिविटी वार अद्यतन स्थिति CMIS पोर्टल (cmis.up.gov.in) पर अपडेट कराया जाना है। प्रश्नगत योजनाओं के मुख्य भाग (मास्टर डाटा) की फीडिंग विभाग के स्तर (शासन स्तर) से की जानी है तदुपरान्त उनसे सम्बन्धित एक्टिविटी की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा की जानी है। योजनाओं को विभिन्न एक्टिविटी मे विभाजित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक्टिविटी की संख्या अधिक न हो।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार CMIS पोर्टल पर समस्त विभाग एवं कार्यदायी संस्थायें परियोजनाओं की प्रविष्टि कराये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । **इन योजनाओं की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा CMIS पोर्टल के माध्यम से शीघ्र की जानी है। अतः प्रकरण में प्राथमिकता अपेक्षित है।**

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन, (श्री आलोक कुमार) को अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in